क्रमांक 12/46/92-2जी. एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवम् गुड़गावां मण्डल ।
2. सभी उपायुक्त एवम् सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ।

दिनांक-चण्डीगढ़ 26 नवम्बर, 1993.

विषय :— लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 12/59/89-2 जी दिनांक 24-5-90 क्रमांक 12/59/89-2 जी.एस. I दिनांक 8-7-91, क्रमांक 12/90/91-2 जी.एस. 20-1-92 तथा क्रमांक 12/46/92-2 जी. एस. I, दिनांक 8-10-92 की ओर दिलाऊं तथा यह कहूं ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया है कि इन हिदायतों को निरस्त कर दिया जाये त 24-5-90 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जाए । इस निर्णय के दृष्टिगत अब टाईप टैस्ट के बारे में हरिया के परिपत्र क्रमांक 39/4/78-जी.एस., दिनांक 3-4-78 द्वारा जारी की गई हिदायतें लागू मानी जाये अनुसार अब 24-5-90 से पहले की भान्ति लिपिकों को केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में क्रमश: 25 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से टाईप टैस्ट पास करना आवश्यक होगा । उनकी पहली तथा आगामी 24.5.90 से पहले की भान्ति एक भाषा का टाईप टैस्ट पास करने पर ही रिलीज की जाएगी ।

2. इसके अतिरिक्त सरकार ने कार्यालयों में कार्यकुशलता को बनाए रखने तथा लिपिकों को प्रोत्साहन दे यह भी निर्णय लिया है कि उन लिपिकों को जो दूसरी भाषा का भी टाईप टैस्ट निर्धारित गति से पास एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान कर दी जाए । यह हिदायतें तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी ।

3. वित्त विभाग का उनके अशा: क्रमांक 3/7/90-1 एफ.जी. I/4329, दिनांक 26-11-93 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

अवर सचिव, सामान्य प्रशा

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सर

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक का भेजी जाती है ।

हस्ताक्षर

अवर सचिव, सामान्य प्रशा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सर

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव.